गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :40/2024

उनवान : सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक पाली बनाम अब्दुल शाजीद अन्तर्गत धारा 2(ख)(1)/3 राज गुण्डा नियंत्रण अधिनियिम ,1975

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुयें
25/03/25	पत्रावली पेश हुई। मतुलाब हस्ताक्षर/पार्थ रखाम पर हैं। पेशी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 22/04/25 को पेश हो। अतिरिक्त कुमार, पाली	
22/04/25	पत्रावली पेश हुई। सामान पक्ष की ओर से आज भी कोई उपस्थित नहीं अधिवक्ता गैर सामान द्वारा पूर्व पेशी दिनांक 10-01-2025 को सूचना दी गई कि गैर सामान श्री अब्दुल शाजीद की मृत्यु हो चुकी है सम्बन्धित थानाधिकारी, पु.था. कालना को उक्त तथ्य की तस्दीक हेतु नोटिस पत्रांक/231 दिनांक 07/02/25 को निर्देश दिए गए उक्त पत्र की दिनांक 19/02/25 को तामीली भी हो गई किन्तु इसके बाद उपरान्त भी मुकर्रर अवधि में सामान पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक समय समय से पैरवी हेतु उपस्थित नहीं हो रहे हैं तथा गैर सामान के अधिवक्ता श्री विनोद सिंह डेवड़ा द्वारा गैर सामान की मृत्यु की सूचना भी प्रदान की गई है, ऐसी स्थिति में प्रकरण अग्रिम ट्रायल हेतु सैद्धान्तिक नहीं है लिहाजा हातगढ़ इस्तगासा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होवे दाखिल दफ्तर किया जावे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली, जिला-पाली	